

" कोर्ट मार्शल में दलित प्रश्न "

**हिंदी (तुलनात्मक साहित्य) में एम. फिल. उपाधि हेतु
लघु-शोध प्रबंध
सत्र 2013-14**



**निर्देशक
डॉ. रूपेश कुमार सिंह
(असिस्टेंट प्रोफेसर)
साहित्य विभाग**

**प्रस्तुतकर्ता
चेतन सिंह
एम.फिल. हिंदी(तुलनात्मक साहित्य)
पंजी. सं. : 2013/02/205/006**

**साहित्य विभाग
साहित्य विद्यापीठ
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय**

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)
गांधी हिल्स, वर्धा- 442005 (महाराष्ट्र) भारत

विषय-सूची

अध्यायप्रथम -प्रस्तावना

1-9

- 1.1 भूमिका
- 1.2 साहित्य पुनरावलोकन
- 1.3 अध्ययन का उद्देश्य
- 1.4 अध्ययन का महत्व
- 1.5 परिकल्पना
- 1.6 शोध प्रविधि
- 1.7 अध्ययन की समय सीमा और समस्याएं

अध्याय-द्वितीय अध्ययन क्षेत्र एवं निवासी

10-17

- 2.1 झारखंड राज्य का परिचय
- 2.2 सिमडेगा जिला का परिचय

अध्याय-तृतीय तुरी जाति: सामाजिक परिदृश्य

18-59

- तुरी जाति: संस्कार और रीति-रिवाज
- तुरी जाति: रहन-सहन
- तुरी जाति: त्योहार एवं धार्मिक प्रतिमान
- तुरी जाति की राजनीतिक चेतना

अध्याय- चतुर्थ तुरी जाति की आर्थिक स्थिति

60-80

- पारंपरिक व्यवसाय
- पशुपालन
- पूरक व्यवसाय एवं अन्य

अध्याय-पञ्चम निष्कर्ष

81-82

संदर्भ सूची

83-84

परिशिष्ट

अध्याय- प्रथम

प्रस्तावना

1.1- भूमिका

जाति जन्म से जुड़ी होती हैं, जिसे व्यक्ति जन्म उपरांत स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जाति, जो की अंग्रेजी का cast (कास्ट) शब्द casta (कास्ट) से बना है, जिनका अर्थ प्रजाति जन्म या भेद होता है। जाति व्यक्ति के समाज, जिसमें जन्म हुआ हो, को कहते हैं। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से जाति शब्द संस्कृत की 'जनि' (जन) धातु में 'क्तिन्' प्रत्यय लगकर बना है। न्यायसूत्र के अनुसार 'समान प्रसावात्मिका जाति' अर्थात् जाति समान जन्मवाले लोगों को मिला कर बनती है।

न्याय सिद्धांत मुक्तावली' के अनुसार जाति की परिभाषा इस प्रकार है - नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम्जातिवर्त्य' अर्थात् जाति उसे कहते हैं जो नित्य है और अपनी तरह की समस्त वस्तुओं में समवाय संबंध से विद्यमान है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार जाति की परिभाषा है - 'आकृति ग्रहण जाति लिंगनांचन सर्व भाक् सकृदाख्यातनिर्गाह्या गोत्रंच चरणैः सह'। अर्थात् जाति वह है जो आकृति के द्वारा पहचानी जाए, सब लिंगों के साथ न बदल जाए और एक बार के बतलो से ही जान ली जाए। इन परिभाषाओं और शब्द व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि 'जाति' शब्द का प्रयोग प्राचीन समय में विभिन्न मानवजातियों के लिए नहीं होता था। वास्तव में जाति मनुष्यों के अंतर्विवाही समूह या समूहों का योग है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता अर्जित न होकर जन्मना प्राप्त होती है, जिसके सदस्य समान या मिलते जुलते पैतृक धंधे या धंधा करते हैं और जिसकी विभिन्न शाखाएँ समाज के अन्य समूहों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक निकटता का अनुभव करती हैं।

जैसे - हमारे भारत देश में धोबी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, लोहार, तेली, कुर्मी आदि जातियाँ है जो एक निश्चित पैतृक काम करने वाले समूह या जाति के नाम से जाना जाता। वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार जातियाँ एक दूसरे की तुलना में ऊँची या नीची होती हैं। सबसे ऊपर कथाकथिक धार्मिक रूप से पवित्र अथवा सर्वोच्च मानी जानेवाली ब्राह्मण जाति, तत्पश्चात क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे अंत्यज(शूद्र)श्रेणी की अपवित्र और अछूत कही जानेवाली जातियाँ होती हैं। जातीय सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति न तो जाति बदल सकता है न अपना व्यवसाय और न ही अपनी जातीय को छोड़ सकता है, चाहे

व्यक्ति कितना भी शिक्षित, विद्वान, प्रतिभाशाली या आर्थिक रूप से सम्पन्न क्यों न हो। हमारे भारत देश में संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा संबंधी जागरूकता एवं आधुनिकरण और बाजारवाद के कारण किसी विशिष्ट जाति के लोगों की रोजगार साधन व व्यवसाय में परिवर्तन देखने मिलता है पर उस जाति के व्यक्ति की वास्तविक पहचान उनकी पारंपरिक काम-काज से जानी जाती है।

सर हरबर्ट रिजले के अनुसार- "जाति, परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन हैं, जिनका एक सामान्य नाम होता है, जो एक काल्पनिक पूर्वज 'मानव या देवता' से वंश उत्पत्ति का दावा करते हैं। एक ही परम्परागत व्यवसाय को करने पर बल देते हैं और एक जातीय समुदाय के रूप में सभी द्वारा मान्य होते हैं"। श्री ब्लंट के अनुसार- "जाति अंतर्विवाही समूहों का संकलन हैं"। एस. सी. दुबे. के अनुसार- "जाति वह अंतर्विवाही संघ है जो धार्मिक प्रतिष्ठा से परिभाषित होती है एवं जिसका व्यवसाय में पारंपरिक संबंध होता है"। वही जाति के संबंध में एम. एन. श्रीनिवास उपर्युक्त शब्दों को दोहराते हुये उसमें कहते हैं- "जातीय का स्थानीय स्तरीकरण में विशेष स्थान होता है, तथा निम्न जाति के लोग उच्च जाति की धार्मिक कर्म-कांड व रहन-सहन का अनुसरण कर अपने जाति को उच्च बताने का प्रयास करता है।

इस तरह से जाति से संबंध में साहित्यों से हम जान पाते हैं कि जाति, परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है, जिनका एक सामान्य नाम होता है, जो किसी एक पूर्वज मानव या देवता से वंश उत्पत्ति का दावा करते हैं तथा एक विशेष प्रकार के कार्य करने में परांगत होते हैं, जिन्हे वो अपना पारंपरिक कार्य समझते है। भारत में जातीय व्यवस्था के संबंध में जानकारी हिंदु धर्म अनुसार 'वर्ण व्यवस्था' से मिलता है जिनके अनुसार जातीय का निर्माण काम से है, जैसे- ब्राह्मण शिक्षा पर अधिकार होने के शिक्षण कार्य, यज्ञ हवन, तेल निकालने के काम करने वाले तेली, कपड़ा धोने वाले धोबी, चमड़े का काम करने वाले चमार तथा लोहा का काम करने वाले लोहार आदि कहलाये। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के साथ एक जाति समुदाय में सामाजिक-आर्थिक रचना, नातेदारी, परिवार, विवाह, और सामाजिक विभाजन आदि जुड़ी हुई होती है।

प्रत्येक जाति के लोग आपस में मिलकर अपना जातीय समाज का निर्माण करते हैं, जिनका उद्देश्य अपने जातीय के लोगों को जागरूक करना व जाति का विकास करना होता है। हर जाति में सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्थिति अलग-अलग देखने मिलती है, जो कि उनकी संस्कृति के द्वारा निर्धारित होती है, ये सामाजिक-आर्थिक स्थिति उस जाति कि विकास को प्रभावित करती है, वही कुछ सांस्कृतिक कारण होती है, जो कि एक जाति के लोगों को संगठित व व्यवस्था को बनाये रखती हैं। हर जातीय समाज में एक आर्थिक संगठन देखने मिलते हैं। इस जगत में मानव अपनी अस्तित्व के

अनुरूप कुछ आर्थिक आवश्यकताओं का अनुभव करता है। जो कि प्रमुखता रोटी, कपड़ा और मकान हैं। मदन एवं मजूमदार के अनुसार- जीवन कि दिन-प्रतिदिन कि अधिकाधिक आवश्यकताओं को कम से कम परिश्रम से पूरा करने हेतु मानव संबंधों तथा मानव प्रयत्नोंको नियमित व संगठित करना ही मानव कि सामाजिक अर्थव्यवस्था हैं। जिसे पाल बोहनन पारिस्थितिकी के संदर्भ में देखते हैं, और कहते है की "मानव का आर्थिक व्यवस्था उनकी निवास स्थिति परिस्थिति से सीधे संबंधित होती है तथा उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है"। इस तरह मूल में हम पाते है कि प्रत्येक जाति कि सामाजिक तथा आर्थिक सीमा होती है, आर्थिक संदर्भ में देखे "इस जगत में मानव एक जातीय समूह के रूप में रहकर निवास करता है तथा अपनी अर्थव्यवस्था को अपने जाति सीमा के अंदर ही संगठित करता है और उन्हीं सीमाओं के कारण उनकी जातीय समाज अन्य जातीय समाज विभिन्नता दिखाता हैं। जैसे- आमुख जाति के लोग प्रायः आमुख कार्य या धंधा करते हैं। जाति में यह सीमा होती है की कोई व्यक्ति बाहर जाति के साथ विवाह संबंध नहीं बनाएगा आदि।

मानवविज्ञान शुरुआत से मानव समाज कि गतिशीलता, उनकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा उन करकोंके अध्ययन में आगे रहा ह, जो समाज को प्रभावित करता है। 'जाति' समाज का एक स्वतंत्र अवयव अंग है, हर जाति की एक स्वतंत्र समाज तथा संस्कृति होती हैं। मानवविज्ञान विषय का अध्ययन केंद्र बिन्दु संस्कृति अध्ययन रहा है, चाहे वह किसी जाति या जनजाति हो या फिर समाज में देखे तो सरल या जटिल समाज ही क्यो न हो। प्रस्तुत लघुशोध "तुरी जाति के सामाजिक-आर्थिक स्थिति : एक मानवशास्त्रीय अध्ययन" (संदर्भ: झारखंड का सिमडेगा जिला) एक नवीन शोध है, विशेष रूप से तुरी जाति के संदर्भ में, क्योकि मानवविज्ञान में तुरी अनुसूचित जाति के ऊपर अध्ययन देखने नहीं मिलता।

इस लघु-शोध प्रबंध में तुरी जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, तुरी जाति में प्रचलित मूल्य व मान्यताओं और आर्थिकी संबंधी निषेधताओं को अध्ययन पश्चात अध्ययन पश्चात 5 अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय 1. में लघु शोध की भूमिका, पूर्व में किये गए कार्यों का अध्ययन, अध्ययन का उद्देश्य, अध्ययन का महत्व, अध्ययन को सीमांकित करने के आवश्यक प्राकल्पना, और अध्ययन में आने वाली समस्याओं को रखा गया है।

अध्याय 2 में अध्ययन क्षेत्र एवं शोध सामग्री तथा प्रविधि है जिसके अंतर्गत अध्ययनित क्षेत्र झारखंडराज्य के सिमडेगा जिले में निवास करने वाली तुरी जाति पर अध्ययनित है। इस अध्याय में

अध्ययन को वैज्ञानिक रूप में कर पाने के लिए अपनायी गयी शोध सामग्री तथा प्रविधि है, जिसमें बताया गया है, की किन-किन तकनीकों से किस-किस प्रकार की तथ्यों का संग्रहण किया गया है।

अध्याय 3 में तुरी जाति की सामाजिक परिदृश्य का विवेचनात्मक वर्णन अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया है।

अध्याय 4 तुरी जाति की आर्थिक परिदृश्य का विवेचनात्मक वर्णन अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया है।

अंतिम अध्याय 5 में सारांश एवं निष्कर्ष है तत्पश्चात इस प्रस्तुत लघुशोध को मौलिक बनाने के लिए आवश्यक, छायाचित्र एवं संदर्भ ग्रंथ व परिशिष्ट हैं।

1.2- पूर्व में किए गए कार्यों का अध्ययन:

भारत में विशेष रूप मानवविज्ञानियों द्वारा जाति के संबंध में अधिक अध्ययन देखने नहीं मिलता है, इसका एक प्रमुख कारण मानवविज्ञान का जनजाति अध्ययन प्रेम है, इसलिए कुछ समाज विज्ञान के प्रबुद्धजन मानवविज्ञान की आलोचना इसी संदर्भ में करते हुये कहते है मानवविज्ञान एक जनजाति अध्ययन है। जबकि ऐसा नहीं है, मानवविज्ञान मानव का अध्ययन और संपूर्ण मानव जगत इनका अध्ययन क्षेत्र है, जाति के संबंध में निम्न अध्ययन देखने मिलता है।

1. भारतीय जाति व्यवस्था शास्त्रीय व आधुनिक (2009), सुरेन्द्र परिहार व अशोक प्रधान द्वारा लिखित पुस्तक से ज्ञात होता है की "सभी धर्मों में जातीय व्यवस्था पायी जाति है किन्तु इस्लाम में जातियों के बीच छुआ-छुत की भावना नहीं होती हैं।
2. हिल्डाराज (1959) द्वारा एक दलित जाति नाडर का अध्ययन किया गया, उसने पाया की नाडर जाति के नेताओं व शिक्षकों ने यह महसूस किया की उनकी कड़ी मेंहनत, अध्यात्मिकता और सम्पन्नता के बाद भी उन्हें हिंदु धर्म में स्थान नहीं दिया गया और भेद-भाव किया गया। इस कारण अपमान से मुक्ति पाने के लिए बड़ी संख्या में नाडर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं।

3. अलेक्जेंडर (1967) ने केरल की ईसाई जातियों का अद्यायन किया और पाया की की केरल के ईसाई समाज में जाति व्यवस्था और छुआ-छूत व्यापक रूप से फैले हुये और ईसाई समुदाय में समांतर जाति व्यवस्था कम कर रही है।
4. संगावे (1959) ने जैनों के बीच 87 जातियों की पहचान की। दक्षिण भारत के जैन अपने को चार वर्णों में विभाजित करते है। सर्वोच्च वर्ण मंदिर के पूजा रियों का है, जो स्वयं को ब्राह्मण के समकक्ष रखते है।
5. ओवन लिंच ने आगरा के आस-पास निवास करने वाली जाटव जाति का अध्ययन किया, जो की एक निम्न जाति के है। आगरा के आस-पास रहने के कारण आज ये चमरा की कम करने वाली यह जाति आज समृद्ध हो रही हैं।
6. सच्चिदानंद ने पटना से 50-60 किमी. पश्चिम शाहाबाद जिले (वर्तमान भोजपुर) निवास करने वाली चमार जाति का अध्ययन किया तथा पाया की इनके सामाजिक गतिशीलता में सरकारी नीतिया हितकारी रहा है, जिनसे उनकी आर्थिक संरचना में परिवर्तन देखा जा सकता है।
7. एफ. जी. बेली (1957) ने उड़ीसा के बसिपाड़ा में पासी जाति का अध्ययन कर देखा की पारंपरिक रूप से तोड़ी (स्थानीय शराब) बनाने वाली ये निम्न जाति आज सरकारी योजनाओं (आरक्षण) के कारण आज आर्थिक रूप से सम्पन्न हो गए है तथा क्षत्रियों के समान रहने बसने लगे है एवं उच्च जाति से आज खान-पैन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने में सफल रहे है।
8. प्रधान (1966) ने मेंरठ संभाग के जाटों और जाट महासंघ का अध्ययन किया। तथा बताया की जाट महासंघ की संघर्ष के परिणामस्वरूप जाटों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार बताया है।
9. गफ (1963) ने केरल की एक दलित जाति एडवा का अध्ययन किया।
10. निर्मल कुमार बोस (1968) - 'कंपीटिंग प्रोडक्टिव सिस्टम इन इंडिया' में जाति व्यवस्था का जनसांख्यिकीय आधार से विवेचना करते हुये कहते है- जाति में संरचनात्मक परिवर्तन अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन द्वारा संभव है। जिसे उसने नगर व शहर में प्रचलित जातिप्रथा से जोड़ कहा है।

इनके अतिरिक्त रूडाल्फ, श्रीनिवास आदि ने अध्ययन किया है। श्रीनिवास ने जातियों की सामाजिक- आर्थिक संरचना में परिवर्तन को जातियों का स्तरीकरण कहा है। तथा रामपुरा के अपने अध्ययन में प्रभुजाति की अवधारणा दिया है। निर्मल कुमार बोस ने कहा है की जाति व्यवस्था को बनाए रखने में राजा, मंदिर तथा मठ की भूमिका प्रमुख होती है।

1.3- अध्ययन का उद्देश्य(Objective of study)-

प्रस्तुत लघु-शोध अध्ययन "तुरी जाति के सामाजिक-आर्थिक स्थिति : एक मानवशास्त्रीय अध्ययन" का निम्नांकित उद्देश्य हैं-

- 1.तुरी जाति में प्रचलित रीति-रिवाज, प्रथा, समाज व्यवस्था का अध्ययन करना।
- 2.तुरी जाति के आर्थिक स्थिति तथा आय-साधन स्रोत व कारकों का अध्ययन करना।
- 3.तुरी जाति की सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा के महत्व का अध्ययन करना।

1.4- अध्ययन का महत्व(Importance of study)-

भारत एक पारंपरिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करने वाला देश है जो अपनी विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न जातियाँ, जनाजातियाँ, तथा विभिन्न समुदाय तथा उप-समुदाय देखने को मिलते हैं। जाति विभिन्नताओं की दृष्टि से यह अत्यंत प्रसिद्ध है। इसी में तुरी जाति भी एक प्रमुख है जो विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ देखने को मिलता है। इनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था बिल्कुल आदिवासियों की तरह ही देखी जा सकती है। प्रस्तुत लघु-शोध में "तुरी जाति के सामाजिक-आर्थिक स्थिति: एक मानवशास्त्रीय अध्ययन" नामक शीर्षक का चयन किया गया है इसका प्रमुख कारण इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति है। अध्ययन की दृष्टि से इसका महत्व बहुत है।

1.5- परिकल्पना(Hypothesis)-

- तुरी जाति के लोग सामाजिक से रूप संगठिक है, क्योंकि उनकी जाति व्यवस्था अन्य जातियों से भिन्न है।
- तुरी जाति के लोग अपने पारंपरिक काम बांसटुकनी निर्माण (हस्त कला) से आज भी आर्थिक गुजारा करना पसंद करते हैं।

1.6- शोध प्रविधि

इस शोध विषय से सम्बन्धित तथ्यों एवं सूचनाओं को संकलित करने के लिए संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। जैसे- निदर्शन, प्राथमिक तथ्य संकलन, द्वितीयक तथ्य

संकलन स्रोत इत्यादि इसके अंतर्गत संबंधित तथ्यों के संकलन के लिए निम्नलिखित प्रविधियों एवं उपकरणों को चयनित कर प्रयोग किया जाता है। इस शोध में गणात्मक तथा गुणात्मक आकणों का त्रिभूजीकरण किया जाएगा।

निदर्शन(Sampling)-

प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन "तुरी जाति के सामाजिक-आर्थिक स्थिति : एक मानवशास्त्रीय अध्ययन" में के लिए सरल दैवनिदर्शन का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए तुरी अनुसूचित निवास करने वाले 5 राज्य के नाम से में ड्रा निकलते हुये झारखंड निकला, तत्पश्चायत झारखंड के 7 जिले में सिमडेगा ड्रा विधि से निकाला गया फिर पुनः ड्रा के माध्यम से ब्लाक निकाला गया है, जो कुरडेग ब्लाक के अंतर्गत तुरी जाति निवास ग्राम बड़की, केंदु कासा व लुकिबहार में निवास करने वाली तुरी जाति को आधार बनाया गया है।

अवलोकन-

प्रस्तुत लघु शोध में अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया गया है जो की आवश्यक था, इस अवलोकन पद्धति का प्रयोग तुरी जाति की दैनिक क्रिया-कलाप को जानने-पहचानने व समझने और तुरी जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा उनसे संबंधित कारकों का जाँच पड़ताल करने के लिए किया गया है।

वैयक्ति अध्ययन :-

वैयक्ति अध्ययन किसी घटना या घटनाक्रम के मानवजाति संबंधी आंकड़ों के विस्तृत प्रस्तुतीकरण को कहते है। इसका संबंध सामाजित संगठन के किसी भी स्तर से हो सकता है। या इसका संबंध किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय के किसी एक वर्ग या सम्पूर्ण समाज हो सकता है। तुरी जाति का अध्ययन के लिए वैयक्ति अध्ययन को क्षेत्रीय कार्य में प्रयोग किया।

साक्षात्कार :-

मानवशास्त्रीय अनुसंधान में साक्षात्कार भी एक स्वेदनशील पद्धति है। प्रायः अन्य पद्धतियों और यांत्रिक अनुसंधान के मापक और माडल में अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत संपर्क उतना नहीं हो पाता

जितना साक्षात्कार पद्धति में। साक्षात्कार ऐसा अनुसंधान पद्धति है जिससे उत्तरदाताओं और शोध आंकड़ों के साथ अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होता है। प्रस्तुत शोध में प्रत्यक्ष साक्षात्कार का प्रयोग किया।

अनुसूची

इसके अंतर्गत मुख्यतः साक्षात्कार अनुसूची तथा सामाजिक आर्थिक जनांकाकी अनुसूची बनाकर अध्यनित तुरी जाति से संबन्धित गणात्मक तथ्यों को सामने लाने के लिए किया गया है।

द्वितीयक स्रोत

इसके अंतर्गत शोध-पत्र, जरनल, पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तक, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि का प्रयोग कर आवश्यक तथ्यों के संकलन से लघु शोध को मौलिक बनाने में किया गया है।

1.7- अध्ययन में आने वाली कठिनाइयाँ

क्षेत्रकार्य के समय कुछ समस्याओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। यदि सरलता से निपट जाये तो हम सही परिस्थित का अवलोकन नहीं कर पायेगे। प्रत्येक मानवशास्त्र के विद्यार्थी को क्षेत्रकार्य में आने वाली समस्याओं का सामना करना चाहिए। हर दुखद एवं सुखद परिस्थितियों का अनुभव लेना चाहिए। तब ही यह कार्य वास्तविकता लिए हुए होंगे। मेरे द्वारा किए गए क्षेत्रकार्य के समय निम्न कठिनाईयाँ व समस्याओं का सामना करना पड़ा -

- सबसे पहली समस्या अवधि की है। चूंकि दो चरणों में क्षेत्रकार्य था जो नहीं हो पाया। फलतः कुछ चीजें एकत्र नहीं हो पाई।
- अध्ययन क्षेत्र के लोगों में अशिक्षा थी, फलतः वार्तालाप व साक्षात्कार करने में दिक्कत हो रही थी।

- लोग शराब के नशे में लिप्त रहते थे, ऐसी परिस्थितियों में कभी-कभी क्षेत्रकार्य से वापस भी आना पड़ता था।
- अध्ययनरत क्षेत्र निवास स्थल से काफी दूरी पर स्थित थी। जहां पर आने के लिए जंगलों के बीच से होकर उबड़-खाबड़ रास्तों से जाना पड़ता था, फलस्वरूप डर बना रहता था।

इसी तरह से छोटी-छोटी अनेक कठिनाईयाँ देखने को मिलती थीं, परंतु उनके बीच जाकर काफी अनुभव मिला। वे लोग भी गरीबी की चपेट में हैं। उनका जीवन उसी जंगलों पर आधारित है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने जीवन में कभी तुरी जाति को नहीं देखा था परंतु झारखंड में क्षेत्रकार्य करने से उनसे बातचीत भी किया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अंग है।

अध्याय- पंचम

निष्कर्ष

झारखंड में अनेक जनजातियों एवं जातियों के बीच तुरी जाति अपनी विशेष व्यवसाय, रहन-सहन व अपनी अलग संस्कृति के लिए जानी जाती है। तुरी जाति अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता (रीति, रिवाज) के कारण ही अलग पहचान रखती है। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस जाति के लोगों को भी अपनी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दलित जातियों में अपनी अलग पेशे की वजह से ही दूसरी दलित जातियों से भिन्न है। इस समाज के रीति- रिवाज हिन्दू दलित जातियों एवं आदिवासियों से काफी मिलता-जुलता है।

तुरी जाति के सभी रीति- रिवाज एवं परंपराओं पर जनजातियों तथा गैर जनजातियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन इनकी कुछ परंपराएं एवं धार्मिक संस्कार दूसरों से अलग करते हैं। बच्चे के जन्म के पांचवें या छठे दिन होने वाले संस्कार के दिन माँ अपने बच्चे को नहीं छूती, पूरा संस्कार सम्पन्न हो जाने के बाद ही बच्चा माँ को दिया जाता है। मृत्यु संस्कार भी अन्य जनजातियों की तरह ही सम्पन्न किया जाता है लेकिन इसमें महिलाओं का निषेध है और वे कब्रिस्तान तक नहीं जा सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिला की मृत्यु के बाद उसका हाथ-पैर तोड़ कर दफनाते हैं। ये दो संस्कार अन्य जातियों से भिन्न है। तुरी जाति के वैवाहिक संस्कार में बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है।

चूंकि संस्कृति विकास की प्रक्रियाओं से अछूता नहीं रहता और इसमें निरंतरता बनी रहती है जिससे इसके तत्वों में बदलाव की संभावना बनी रहती है। यह परिवर्तन विकास की प्रक्रिया व दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आने पर होता है। अपने शोध के दौरान मैंने पाया कि तुरी जाति पर वहाँ निवास करने वाली जातियों का व्यापक प्रभाव पड़ा है।

संस्कृति विसरण जैसी प्रक्रिया भी इस समुदाय में देखने को मिलती है। उरांव समुदाय की कई परंपराएं इनके यहाँ पहुंची है। जैसे इनके यहाँ गोत्र विवाह स्वीकार्य नहीं है। बच्चों के नामकरण की परंपरा भी मुंडा और उरांव की तरह ही किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव तुरी जाति पर पड़ा है।

तुरी जाति के लोग अपने दिवंगत पूर्वजों का भी आत्माओ की भी आराधना करते हैं चूंकि उनमें विश्वास है की बीमारियों तथा संकट की घड़ियों में वे उनकी रक्षा करती है। इनके बीच परिवार के मुख्य द्वारा पर भोजन करते समय पहला ग्रास मुँह में लेने के पूर्व भोजन के कुछ अंश को थाली से निकालकर अपने मृत्यु पूर्वजों को अर्पित करने का प्रचलन रहा है । किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होनेपर उसकी आत्मा को चुड़ैल माना जाता है। भूत, पिचास चेचक तथा अन्य महामारी के लिए उत्तरदायी आत्माओ को दुष्ट आत्मा माना जाता है ,जिसके रक्षा करने के लिए उनकी पूजा-अर्चना की जाति है। तुरी जाति के बीच ऐसा विश्वास है की परिवार में जन्म लेनेवाली कोई भी संतान अपने पूर्वज की आत्मा को लेकर उत्पन्न होता है,इसलिए संतानों का नाम उनके दादा-दादी के नाम पर रखते है।और तुरी जाति यह विश्वास पाया जाता है की जवान लड़का यह लड़की का मृत्यु हो जाता है तो और ठीक कुछ महीने बाद गाय एवं बकरी दोनों में से किसी एक का बच्चा आता है तो उसको अपने बेटा यह बेटे के रूप में स्वीकार करते हैं । इस प्रकार से तुरी जाति में धार्मिक विश्वास अन्य जातियों से अलग है ।